प्र० सं० 363/2024 प्रा०पत्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

निर्णय शेखावत प्रा०रामचन्द्र बनाम

प्रार्थी स्वयं प्रार्थी के प्रा०पत्र पर विवाह के लिए की गई, प्रार्थीया स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 02 के मध्य आपसी रंजिशवश प्रार्थीया उक्त प्रा०पत्र में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का निवेदन किया प्रार्थीया की बात पर मनन किया पत्रावली का उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया प्रकरण में स्वयं प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रार्थीया का प्रा०पत्र की कार्यवाही इसी स्थल पर समाप्त की जाती है। प्रकरण में पूर्व में जारी एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 22/11/2024 को स्वतः निरस्त माना जावे। पत्रावली फसल हेतु नम्बर उसी नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेरा

नम्बर
अहकाम
हुक्म क
मे ज